तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./7008/2006/सिरोही उकाराम बनाम लीलाराम	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

निर्णय

दिनांक 23.12.2021

प्रार्थी निगराकार की ओर से कोई उपस्थित नहीं। गैर निगराकार संख्या–1 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक नाथ योगी उपस्थित।

प्रार्थी उकाराम ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के आदेश दिनांक 3–10–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

विद्वान अधिवक्ता श्री योगी का कथन है कि इस प्रकरण में उकाराम निगराकार और सांकलचन्द गैर निगराकार संख्या–2 फोत हो चुके है जिनको करीब करीब 4–5 साल हो गये है पर उनके उत्तराधिकारियो को रिकार्ड पर नहीं लिया गया है जबकि निगरानी चलाने के लिए उनकी हाजरी आवश्यक है। इसलिए उक्त निगरानी अबेट हो चुकी है। अतः खारिज की जावे।

हमने योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर मनन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि उकाराम ने लीलाराम और सांकलचन्द के विरूद्ध यह निगरानी याचिका दिनांक 12–10–2006 को पेश की थी और पत्रावली में सांकलचन्द का देहान्त दिनांक 4–5–2012 को होने बाबत् प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 10–ए सीपीसी संलग्न है और इसी प्रकार उकाराम का देहान्त दिनांक 11–1–2016 को होने का मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न है और इनके विधिक वारिसान को संयोजित नहीं किया गया है जबकि प्रकरण को आगे संचालन के लिए आवश्यक पक्षकार का रिकार्ड पर होना आवश्यक है। इसलिए उनके विधिक उत्तराधिकारियों के अभाव में निगरानी खारिज की जाती है।

आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित की जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य